

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16-2-16 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0
र्खालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 520-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक
1-02-16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक
03/अ-21/2015-16.

केशलाल मार्को पिता अमानी सिंह मार्को
निवासी 78 ग्राम इन्द्रा
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1— श्री गणेश पटेल श्री संतलाल पटेल

उम्र 23 साल निवासी हनुमान मंदिर नई बस्ती
कजरवारा वेयर हाउस के पास
तहसील व जिला जबलपुर

2— म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

२

केशलाल मार्को विरुद्ध गनेश आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निराO 520-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-२-१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकाय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम इन्ड्रा प.ह.नं. 84 दा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 509/1 रकबा 1.440 हैक्टर के विकाय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार, खम्हरिया को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकाय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विकाय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विकाय की अनुमति देने से इकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम</p>	

(M)

५

R. 520. I/16(जाम्य)

स्थान तथा दिनांक	मर्यादाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>संशोधित किए जाने का आदेश दिनांक 21-7-14 को हुआ है और उसके एक वर्ष 02 माह बाद आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष व्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार व्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 01-02-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम इक्का प.ह.नं. 84 रा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 509/1 एकबा 1.440 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक - 1 श्री गणेश पटेल पुत्र श्री संतलाल पटेल को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। 	

६

केशलाल मार्को विरुद्ध गणेश आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, रवालियर

प्रकरण क्रमांक - निमा० 520-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>3- भूमि के विकायपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम०क० सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर</p> <p style="text-align: left;">B/S</p>	